राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान
(झारखण्ड सरकार का एक स्वयतशासी संस्थान)
राँची–834009(झारखण्ड)
दुरभाष 0651–2541533, फैक्स 0651–2540629,
E-mail: rimsranchi@rediffmail.com

RAJENDRA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
(An Autonomous Institute under Govt. of Jharkhand)
Ranchi-834009 (Jharkhand)
Phone: 0651-2541533, Fax: 0651-2540629,
Email : rimsranchi@rediffmail.com

पत्रांक 4016 रा0आ0सं0, राँची, दिनांक 08/11/2023

अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची के अंतर्गत Embalmer के 01 रिक्त पद पर अनुबंध के आधार पर नई नियुक्ति होने तक या एक वर्ष के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र (बायो–डाटा) एवं सभी मूल प्रमाण–पत्र के साथ दिनांक 22/11/2023 को 4:00 बजे अपराहन तक निर्देशक, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची के कार्यालय में समर्पित करेगे। दिनांक 22/11/2023 के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न रहना चाहिए।

क्रम सं0	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	मासिक मानदेय	आरक्षण कोटि
01.	Embalmer	01	10वीं उत्तीर्ण (कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड, राँची पत्रांक 10506 दिनांक 11/12/2015 के अनुसार)	500 बेड के अस्पताल में Embalming का कार्य करने का दस साल का अनुभव	वित्त संकल्प संख्या 422/वित्त दिनांक 18/02/2022 के अनुसार रूपये 19,510/–	UR

(A) आयु सीमा — दिनांक 22/11/2023

- (क) अनारक्षित — 18 से 35 वर्ष
- (ख) ओ0 बी0 सी0 — 18 से 37 वर्ष
- (ग) महिला(अनारक्षित ओ0 बी0 सी0) — 18 से 38 वर्ष
- (घ) अनुसूचित जाति एवं जनजाति — 18 से 40 वर्ष

(B) अन्य शर्तेः–

(1.) नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष या नई नियुक्ति होने तक जो पहले हो के लिए की जायेगी। एक महीने की पूर्व सूचना देकर कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति मे नियुक्ति रद्ध की जा सकती है।

(2.) संविदा पर नियुक्त कर्मी को पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित वेतन में नियमानुसार देय अन्य भत्ते अनुमान्य होगा। परन्तु सरकारी कार्य के लिए की गई यात्रा के लिए झारखण्ड यात्रा भत्ता नियमावली के प्रावधानों के तहत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

(3.) संविदा पर नियुक्त कर्मी पेशन का हकदार नहीं होगा परन्तु राज्य सरकार के कर्मचारियो को लागू नियम के अनुसार चिकित्सा सुविधा का हकदार होगा।

(4.) संविदा पर नियुक्त कर्मी को कलैंडर वर्ष के लिए राज्य कर्मियो के अनुसार आकस्मिक अवकाश देय होगा।

(5.) संविदा पर नियुक्त कर्मी के लिए राज्य सरकार राज्य कर्मियो की भाति आचार सहिता लागू होगा।

(6.) चयन में झारखण्ड सरकार के आरक्षण नियमों तथा डोमिसाईल नीति का पालन किया जायेगा।

(7.) इस प्रेस विज्ञापित को विना कोई कारण वताये कभी भी रद्ध करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। रिक्त पद की संख्या में साक्षात्कार शुरू होने के दिन तक परिवर्तन सभव है।

(8.)किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायाधिकार क्षेत्र, राँची के अंतर्गत सीमित होगा।

(9.) मात्र आवेदन देने पर नियुक्ति का कोई भी दावा मान्य नही होगा।

(10.) चयनित उम्मीदवारों को निबंधित डाक द्वारा चयन की सूचना भेज दी जायेगी। सफल उम्मीदवारों की सूची निदेशक कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी लगा दी जायेगी। असफल उम्मीदवारों को कोई भी सूचना नहीं दी जायेगी।

निदेशक
राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची।